









राजापन

Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-12022022-233363 SG-DL-E-12022022-233363

असाधारण EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 831

दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 11, 2022/माघ 22, 1943

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 436

No. 831

DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 11, 2022/MAGHA 22, 1943

[N. C. T. D. No. 436

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह -1 (पुलिस) /स्थापना विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 11 फरवरी, 2022

सं. 16/18/2020/गृ0पु0—I/स्था0/3462—3468.—दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 (1978 का 34) की धारा 147 की उप—धारा— (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) नियमावली, 1980 में आगे संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1 संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :--

- (1) इन नियमों को दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) (संशोधन) नियमावली, 2022 कहा जायेगा।
- (2) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- 2 संशोधन :-

उक्त नियम में, नियम 17—ख (x) दिल्ली पुलिस की संचार इकाई में फिटर (इंजन) (प्रधान सिपाही) पद से संबंधित है।

(1) "वेतनमान" के संबंध में कॉलम में प्रविष्टि हेतु, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात— पै—मैट्रिक्स में वेतन स्तर... स्तर—4 (25,500—81,100 / रू)



र्यदि कोई विभागीय पदोन्नित समिति हो तो इसकी संरचना क्या है।" के संबंध में कॉलम के सामने प्रविष्टि हेत्. निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा. अर्थात-



'विभागीय पदोन्नति समिति' (पदोन्नति पर विचारार्थ)

(i) एक संयुक्त पुलिस आयुक्त (अध्यक्ष)

(ii) दो पुलिस उपायुक्त (सदस्य)

(दिल्ली पुलिस आयुक्त द्वारा नामित किया जायेगा)

'विभागीय स्थायीकरण समिति' (स्थायीकरण पर विचारार्थ)

- (i) एक पुलिस उपायुक्त (अध्यक्ष)
- (ii) दो पुलिस सहायक आयुक्त (सदस्य)

(संबंधित जिलों / इकाईयों से)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर.

पवन कुमार, उप सचिव (गृह])

टिप्पणी:- दिनांक 31.07.1986 की अधिसूचना सं फा.5 / 46 / 84-गृह(पुलिस) / स्था० के द्वारा दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) नियम तथा आगे दिनांक क प्रमुख प्रकाशित हुए 10.07.2013 सं0फा016 / 06 / 2013 / गृह0पु0-1 / स्था० / 2112-2114 हारा सं"ोधित किए गए

HOME-I (POLICE) /ESTABLISHMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 11th February, 2022

No. F. 16/18/2020/HP-I/Estt./3462-3468.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 147 of Delhi Police Act, 1978 (34 of 1978), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following rules further to amend the Delhi Police (Appointment and Recruitment) Rules, 1980,

1. Short title and commencement:

- (1) These Rules may be called the Delhi Police (Appointment and Recruitment) (Amendment) Rules, 2022.
- (2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Delhi Gazette.
- 2. Amendments:

In the said Rules, in Rule 17-B-(x), relating to the post of Fitter (Engine) (Head Constable) of Communication Unit in Delhi Police.

- (1) For the entry in the column, relating to the "Scale of Pay", the following entry shall be substituted, namely:-'Pay Level in the Pay Matrix' --- Level-4 (Rs. 25,500-81,100/-)
- (2)For the entry against the column, relating to the "If a DPC exists, what is its composition", the following entry shall be substituted, namely:-

'Departmental Promotion Committee' (for considering promotion)

- (i) One Joint Commissioner of Police (Chairman)
- (ii) Two Deputy Commissioners of Police (Members) (To be nominated by Commissioner of Police, Delhi).

'Departmental Confirmation Committee' (for considering confirmation)

(i) One Deputy Commissioner of Police (Chairman)

of State for Govt. of India



(ii) Two Assistant Commissioners of Police (Members)
(From the districts/units concerned).

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

PAWAN KUMAR, Dy. Secy. (Home I)

Note:—The Principal Rule of Delhi Police (Appointment & Recruitment) Rules, 1980 amended vide Notification No F.5/46/84-Home(P)/Estt. dated 31.07.1986 and further amended vide (i) Notification No. F.16/06/2013/HP-1/Estt./2112-2114 dated 10.07.2013.